

**कार्यालय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट
मध्यप्रदेश शासन, गृह-विभाग
(गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय भवन, भोपाल)**

विषय :- वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-2019.

1. विभागीय संरचना :-

भारत सरकार द्वारा वर्ष-1964 के गठित सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की यह अपेक्षा थी कि देश में प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इस लिए की जाये कि पूरे देश में मेडिकोलीगलका कार्य बहुत ही निम्न स्तर का था। जिसे उपर उठाया जाये। अतः उस समय की सिफारिश के अनुसार वर्ष-1977 में मध्यप्रदेश शासन को भोपाल में देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का श्रेय प्राप्त हुआ। इस संस्थान में कुल स्वीकृत पदों की संख्या-53 है।

2. विभाग के कार्य एवं उद्देश्य :-

01. मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना तथा सन्दर्भित किये गये शवों का शव परीक्षण करना व संदिग्ध घटना स्थल का निरीक्षण करना।
02. फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन में सहायक होना।
03. न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यन्त निकट का सामनजस्य बनाते हुए मेडिकोलीगल प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना।
04. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें भी उपलब्ध हैं। जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम-टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं। इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है।

3. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताएँ :-

इस संस्थान में मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट-मत देना, शवों का शव-परीक्षण करना, अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना एवं इस विषय से संबंधित अन्य प्रमुख कार्य विशेष रूप से किये जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों एवं सहायक शल्य चिकित्सकों को मेडिकोलीगल विषय में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक गत एक वर्ष तक की प्रमुख उपलब्धियाँ) :-

वर्ष-2018 में दिनांक 01-01-2018 से 31-12-2018 तक 2765 शव-परीक्षण किये गये, जबकि मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ओपीनियन के कुल-74 प्रकरण प्राप्त हुए एवं इसी अवधि में मेडिकोलीगल प्रकरण जैसे:- इन्जुरी, उम्र की जाँच, बलात्कार की जाँच एवं सेक्स आदि के कुल-270 प्रकरण प्राप्त हुए। हिस्टोपैथोलॉजी के कुल-1145 प्रकरण, डॉयटम टेस्ट के कुल-1196 प्रकरण, एन्टोमोलॉजी के कुल-23 प्रकरण, तथा विसरा जाँच विश्लेषण के कुल-76 प्रकरण जाँच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल-5549 प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुए हैं।

5. मेडिकोलीगल प्रशिक्षण संबंधित जानकारी :-

01. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु गत वर्षों में 10 मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्र मेडिकोलीगल संस्थान में आयोजित किये गये थे, जिसमें लगभग 300 न्यायिक अधिकारियों ने मेडिकोलीगल प्रशिक्षण का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में दो सत्रों (माह जुलाई एवं अगस्त) में कुल 59 एवं हाल ही में वर्ष 2018 में चार सत्रों (माह फरवरी, जुलाई, सितम्बर एवं दिसम्बर) में कुल 117 न्यायिक अधिकारी 03 दिवसीय मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित हुए।
02. प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित राज्य सेवा के उप जिलाधीशों, उप पुलिस अधीक्षकों, लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है।
03. सम्भाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी मेडिकोलीगल विषय में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के चिकित्सकों को विभिन्न समूह में संस्थान में आकर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण के शिविर भी पूर्व में आयोजित किये गये हैं।

2. विभागीय पदौन्नतियाँ, विभागीय जाँच, विभागीय नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी :-

01. संस्थान अन्तर्गत रिक्त सीधी भरती से भरे जाने वाले मेडिकल ऑफीसर (मेडिकल) के 04 पद एवं मेडिकल ऑफीसर (नॉन मेडिकल) 01 पद पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अंतर्गत सीधी भरती के रिक्त पदों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के माध्यम से भरने हेतु कार्यवाही भी प्रचलन में है।
02. संस्थान में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्गों के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय जाँच का प्रकरण लंबित/विचाराधीन नहीं है।

03. मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित/कार्यरत नहीं है। अतः स्थानान्तरण से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी।
04. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में वर्तमान् स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में 05 प्रकरण विचाराधीन हैं। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर शासन सर्माथन में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अद्यतन स्थिति में किसी भी प्रकरण के संबंध में कोई भी शासन विरुद्ध अभियुक्ति/स्थगन आदि पारित नहीं है एवं न ही किसी प्रकरण में अवमानना की कार्यवाही ही प्रचलित है।

भाग-दो

1. बजट विहंगावलोकन/एक दृष्टि में :-

वित्तीय बजट वर्ष 2017-2018 (01.04.2017 से 31.03.2018) में इस संस्थान के लिए रूपये-3,73,18,000/- की बजट राशि प्राप्त हुई थी। जिसमें से रूपये- 3,07,81,200/- का व्यय किया गया एवं रूपये-9,19,523/- की राशि शासन को समर्पित की गयी। वित्तीय वर्ष-2018-2019 हेतु संस्थान के लिये कुल राशि रूपये-4,91,06,000/- आवंटित है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-19/2015/1/9, दिनांक 08-05-2015 के परिपेक्ष्य में जेन्डर बजट से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी।

2. बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय/योजना वार :-

संस्थान एक नॉन-प्लॉन/आयोजनत्तर विभाग है। इसके अतिरिक्त संस्थान अन्तर्गत कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना/कल्याणकारी योजना आदि स्वीकृत नहीं है।

सारांश :-

संस्थान के मुख्य कार्य शव परीक्षण करना एवं समूचे प्रदेश से संदर्भित किये गये जटिल एवं संदिग्ध मृत्यु के मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ मत देना है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के लिए समय-समय पर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है।

संस्थान का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नहीं है।

प्रभारी संचालक
मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट.
मध्यप्रदेश,भोपाल
दूरभाष-0755-2540588.